रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252913 CG-DL-E-14032024-252913

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1270]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945
No. 1270]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

का.आ. 1335(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे कार्यों को करने के लिए तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

तालिका

W11 V1 V1			
(1)	(2)	(3)	
"4	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2सी, सं. 19 [किमी 143.200 से किमी 207.200 (छपरा-हाजीपुर) और किमी	बिहार	
	128.713 से किमी 131.500 (उ. प्र. / बिहार सीमा से रावलगंज बाइपास खंड) तक खंड को		
	छोड़कर], सं. 28बी, सं. 30ए, सं. 80 [िकमी 1.430 से किमी 190.000 (मोकामा-मुंगेर-मिर्जाचौकी	सरकार	

1907 GI/2024 (1)

खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 81, सं. 82 [किमी 95.000 से किमी 149.020 (बिहारशरीफ – बरबिगहा-मोकामा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 98 [बिहार राज्य में प्रस्तावित हरिहरगंज बाइपास के भाग को छोड़कर], सं. 99, सं. 101, सं. 103, सं. 104, सं 105, सं. 106, सं. 110, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 333 [रारा-33 (नई सं.) पर बरियारपुर से प्रारंभ होकर खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई, चकई को जोड़ने वाला राजमार्ग], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327 विस्तार [चै. 00.000 किमी से चै. 93.983 किमी (गलगलिया – बहादरगंज – अररिया खंड) और परसरमा – बनगांव – महिशी खंड (29.60 किमी) तक खंड को छोड़कर], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 131ए [पश्चिम बंगाल राज्य में मालदा से शुरू होने वाला, रतुआ और देबीपुर को जोड़ने वाला, रारा-31 पर आमदाबाद, मनिहारी, कटिहार को जोड़ने वाला और रारा-27 (नई सं.) पर पुर्णिया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग)]. नई रारा सं. 120, नई रारा सं. 122ए, नई रारा सं. 122बी, नई रारा सं. 124सी, नई रारा सं. 131बी, नई रारा सं. 133, नई रारा सं. 133ई, नई रारा सं. 219, नई रारा सं. 227ए, नई रारा सं. 227एफ, नई रारा सं. 319ए, नई रारा सं. 322 (मुसरीघरारी के निकट रारा-122 के जंक्शन से बेला नवादा के निकट रारा-27 के जंक्शन तक का विस्तारित भाग), नई रारा सं. 327ए, नई रारा सं. 327एडी, नई रारा सं. 333ए, नई रारा सं. 333सी, नई रारा सं. 139डब्ल्यू [(बकरपुर से अरेराज खंड) तक को छोड़कर], नई रारा सं. 527ए [रहिका (पोखरौनी) - मधुबनी - रामपट्टी खंड और बिदेश्वर स्थान - लौफा - पश्चिमी कोसी नदी बांध के निकट भेजा खंड तक को छोड़कर], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 527ई, नई रारा सं. 727ए, नई रारा सं. 727एए और नई रारा सं. 727बी के उतने भाग जो बिहार राज्य में अवस्थित हैं।

> [फा. सं. एनएच-14013/12/2023-पी एंड एम(पार्ट)] अभय जैन. उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.-1060(अ), तारीख 05 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

S.O. 1335(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"4	(Chhapara- Hajipur) and Km. 128.713 to Km. 131.500 (UP/ Bihar border to Rawalganj	State Government of Bihar."

[F. No. NH-14013/12/2023-P&M(Pt.)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1060 (E), dated the 5th March, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

का.आ. 1336(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज/लंबाई किमी में
(1)	(2)	(3)
रारा-31 (पुराना रारा-19)	उ. प्र. / बिहार सीमा से रावलगंज बाइपास खंड	किमी 128.713 से किमी
	(बिहार राज्य में)	131.500

[फा. सं. एनएच-14013/12/2023-पी एंड एम(पार्ट)]

अभय जैन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

S.O. 1336(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/ length in km (3)
NH-31	UP/ Bihar border to Rawalganj Bypass section	Km. 128.713 to Km. 131.500
(old NH-19)	(In the state of Bihar)	

[F. No. NH-14013/12/2023-P&M(Pt.)]
ABHAY JAIN, Dy. Secy